निदेशालय तकनीकी शिक्षा
व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, हिमाचल प्रदेश

अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत पात्र युवाओ जिनकी आयु न्युनतम 14 साल है, आठवीं, दसवीं, बारहवीं, आई टी आई अथवा व्यवसाय के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार हि० प्र० मे स्थित विभिन्न सरकारी / अर्ध सरकारी/ निजी प्रतिष्ठानों उद्योगों में उपलब्ध व्यवसायों मे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो कि 6 माह से 3 वर्ष होती है, साथ मे रू 5000 /- से 9000/- तक स्टाइफण्ड का प्रावधान भी होता है एवं प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को अखिल भारतीय शिक्षुता परीक्षा उतीर्ण होने पर भारत सरकार की ओर से **"राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण - पत्र "** प्रदान किया जाता है, जो की राजकीय / निजी क्षेत्र के साथ - साथ विदेशों में भी रोजगार प्राप्त करने हेतु मान्य होता है। इच्छुक उमीदवार www.apprenticeshipindia.gov.in पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षु लगने हेतु पोर्टल के माधयम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वोकेशनल, डिप्लोमा, डिग्री के इच्छुक प्रशिक्षु https://nats.education.gov.in पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में स्वयं की ईमेल ID, मोबाइल नंबर व आधार नंबर सही दर्ज करें, क्योंकि सभी सूचनाएँ उम्मीदवार की ईमेल व मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाती हैं। इसके अलावा इस स्कीम की सारी जानकारी ऊपर बताए वेब पोर्टल में उपलब्ध है।

निर्देशक
तकनीकी शिक्षा,
व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण,
हिमाचल प्रदेश, सुंदर नगर